मि0न0 45/2019
प्रकाशचन्द्र ~~किशन~~ रमेश

22/11/2024

पत्रावली पेश हुई। पेरोकार सरकार उपस्थित। गैरसायल के वकील उपस्थित। मि0न0 26/2016 उनवान सरकार जर्ये थानाधिकारी देवलीमांझी बनाम रमेशचन्द्र पुत्र बिशना आदेश दिनांक 26.10.2017 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने में जाहिर हुआ है कि मि0न 26/2016 आदेश दिनांक 26.10.2017 में रमेश पुत्र बिशना 14 दिन के लिए अंता जिला बांरा भेजा गया था। उसी मुकदमे के केसेसे का प्रकरण पुनः थानाधिकारी देवलीमाझी द्वारा दिनांक 14.08.2019 को पेश किया गया। अतः आदेश दिनांक 26.10.2017 मे गैरसालय को 14 दिन के लिए जिला बदर किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में गैरसालय को पुनः जिला बदर करने कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफत्तर हो।

अति. जिला कलक्टर
कोटा